

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 199/2023

दायर दिनांक 12.09.2023

वादी

1. अजीज खां पुत्र लोडू खां फौत
- 1/1 गन्नी मोहम्मद शैरानी पुत्र अजीज खां
- 1/2 नूर मोहम्मद पुत्र अजीज खां
- 1/3 असगर खां पुत्र अजीज खां
- 1/4 रफीक खां पुत्र अजीज खां
- 1/5 शरीफ खां पुत्र अजीज खां
- 1/6 रोशन बानों पुत्री अजीज खां
- 1/7 सुफिया बेवा अजीज खां समस्त जातिगण शैरानी निवासीगण सुफिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसल छोटी खादू जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल खां उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र मुमताज खां उर्फ नानु खां
2. मोहबत अली पुत्र मुमताज खां उर्फ नानु खां
3. मो0 रफीक पुत्र मुमताज खां उर्फ नानु खां
4. सुगरा बेगम पुत्री मुमताज खां उर्फ नानु खां
5. कलसुम पुत्री मुमताज खां उर्फ नानु खां
6. जुबैदा बेगम पत्नी मुमताज खां उर्फ नानु खां
7. रुखसाना पुत्री बिसमिल्ला
8. समीला पुत्री बिसमिल्ला
9. सहनाद बानू पुत्री बिसमिल्ला (प्रति0सं0 7 ता 9) नाबालिक जरिये संर0 नानी जुबैदा प्रति0सं0 6)
10. लुकमान खां शैरानी पुत्र लोडू खां
11. बाबु खां शैरानी पुत्र लोडू खां
12. बेगम पुत्री लोडू खां
13. आसिफ मो0 पुत्र जेना बेगम
14. रुखसाना बानों पुत्री जेना बेगम
15. तबसुम पुत्री जेना बेगम
16. मो0 तोसिफ पुत्र जेना बेगम (प्रति0सं0 16 मो0 तोसिफ नाबालिक जरिये संर0 पिता लाल मो0)
17. तहसीलदार छोटी खादू।

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस वकील प्रतिवादीगण।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 11.08.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम डाबगांव, पटवार हल्का लोरोली कलां, भू0अभि0नि0 क्षेत्र केराप के खेत खसरा सं0 549/933 रकबा 0.5000 हैक्टे0, खसरा सं0 579/934 रकबा 0.1700 हैक्टे0, खसरा सं0 581 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 603/931 रकबा 1.0800 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 04.12.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खादू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खादू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2025/1307 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खादू द्वारा प्रस्तावित बन्तवारा पर



idea
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इबादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 199/2023 दायर दिनांक 12.09.2023

वादी

1. अजीज खां पुत्र लोडू खां फौत
- 1/1 गनी मोहम्मद शैरानी पुत्र अजीज खां
- 1/2 नूर मोहम्मद पुत्र अजीज खां
- 1/3 असगर खां पुत्र अजीज खां
- 1/4 रफीक खां पुत्र अजीज खां
- 1/5 शरीफ खां पुत्र अजीज खां
- 1/6 रोशन बानों पुत्री अजीज खां
- 1/7 सुफिया बेवा अजीज खां समस्त जातिगण शैरानी निवासीगण सुफिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसल छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल खां उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र मुमताज खां उर्फ नानु खां
2. मोहबत अली पुत्र मुमताज खां उर्फ नानु खां
3. मो0 रफीक पुत्र मुमताज खां उर्फ नानु खां
4. सुगरा बेगम पुत्री मुमताज खां उर्फ नानु खां
5. कलसुम पुत्री मुमताज खां उर्फ नानु खां
6. जुबैदा बेगम पत्नी मुमताज खां उर्फ नानु खां
7. रुखसाना पुत्री बिसमिल्ला
8. समीला पुत्री बिसमिल्ला
9. सहनाद बानू पुत्री बिसमिल्ला (प्रति0सं0 7 ता 9) नाबालिक जरिये संर0 नानी जुबैदा प्रति0सं0 6)
10. लुकमान खां शैरानी पुत्र लोडू खां
11. बाबु खां शैरानी पुत्र लोडू खां
12. बेगम पुत्री लोडू खां
13. आसिफ मो0 पुत्र जेना बेगम
14. रुखसाना बानों पुत्री जेना बेगम
15. तबसुम पुत्री जेना बेगम
16. मो0 तोसिफ पुत्र जेना बेगम (प्रति0सं0 16 मो0 तोसिफ नाबालिक जरिये संर0 पिता लाल मो0)
17. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 11.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी एवं श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, राजस्व ग्राम डाबगांव, पटवार हल्का लोरोली कलां, भू0अभि0नि0 क्षेत्र केराप के खेत खसरा सं0 549/933 रकबा 0.5000 हैक्टे0, खसरा सं0 579/934 रकबा 0.1700 हैक्टे0, खसरा सं0 581 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 603/931 रकबा 1.0800 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भूअ./2025/1307 दिनांक 30.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: भूअ./2025/1307 दिनांक 30.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.08.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

WRAA
सहायक कलक्टर
डीडवाना